न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/91 दायरा दिनांक : 01.07.2024

उनवान

1. पंकज जैन पुत्र शंकरलाल जैन, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
2. रामलाल पुत्र ओंकार, जाति मेंहर, निवासी बोरखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड .... अपीलांट

बनाम

1. शंकर सिंह पिता भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
2. मिट्ठू सिंह पिता भंवर सिंह, जाति गुर्जर
3. कुंवर बाई पुत्री भंवर, सिंह, जाति गुर्जर
4. अन्दर बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर
5. गुगना बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
6. सूरज बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
7. लीला बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर
8. कैलाश बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
9. प्रहलाद पिता रूगनाथ, जाति बलाई
10. आशा पुत्री रूगनाथ, जाति बलाई
11. ऊषा पुत्री रूगनाथ, जाति बलाई
12. राघू सिंह पिता बापूसिंह, जाति गुर्जर,
13. लाल सिंह पिता बापूसिंह, जाति गुर्जर
14. बहादुर सिंह पिता बापूसिंह जाति गुर्जर,
15. कुशाल बाई पुत्री बापूसिंह, जाति गुर्जर
16. पेमा बाई पुत्री बापूसिंह, जाति गुर्जर
17. लक्ष्मण पिता दुले सिंह, जाति गुर्जर
18. बद्री सिंह पिता दुले सिंह, जाति गुर्जर
19. विक्रम सिंह पिता दुले सिंह, जाति गुर्जर
20. शारदा बाई पत्नी दुले सिंह, जाति गुर्जर
21. कृष्णा पुत्री गोरधन, जाति बलाई,
22. मन्जू पुत्री गोरधन, जाति बलाई
23. संजू पुत्री गोरधन, जाति बलाई
24. सोहन बाई पत्नी गोरधन, जाति बलाई
25. राहुल पिता गोरधन, जाति बलाई
26. शिवनारायण पिता गोरधन, जाति बलाई
27. मोहन बाई पुत्री भुवानलाल, जाति बलाई
28. रूकमण बाई पुत्री भुवानलाल, जाति बलाई
29. शंकरलाल पुत्र भुवानलाल, जाति बलाई

अकवाम निवासीगण ग्राम गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
31. राधेश्याम पुत्र कचरूलाल मेघवाल, निवासी पारापीपली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 11, 17, 29, 31 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 107/दावा/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्रामगोलखेड़ी, तहसील गंगधार, पटवार हल्का कोलवी की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि स्थित है। खाता संख्या 369 के खसरा नं. 463 रकबा 0.1897 हेक्टर तथा खसरा नं. 469 रकबा 0.5059 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 0.6956 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 से वाद वादीगण स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 के तहत यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण 1 लगायत 29 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के बाबत जो वाद पेश किया है, उसमें केवल मात्र राज्य सरकार को ही पक्षकार बनाया गया है एवं प्रकरण में तलबी की स्टेज पर ही केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.09.2022 के आधार पर रेस्पोडेन्ट को गैरखातेदारी की आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने एवं निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की इनके बारे में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई एवं वादीगण के द्वारा साक्ष्य में दावे के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट को भी प्रदर्श नहीं करवाया गया, पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये गये। केवल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मात्र पटवारी रिपोर्ट एवं शपथ पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री करने में भूल की है। विवादित आराजी के मामले में दिनांक 16.06.2022 को जो तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं आई.एल.आर. के द्वारा तैयार की गयी थी उस रिपोर्ट में स्पष्ट अवलोकन किया गया था कि उस रिपोर्ट के मौके पर समस्त गैरखातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है आवंटन शर्तों की पालना नहीं होती और यह भी अंकित किया गया था कि आराजी पर खातेदारी मिलने से विवाद बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि कुछ जमीन रोड़ में काम आ चुकी है और अन्य खातेदारान का कब्जा है। इसीलिये सक्षम अधिकारी तहसीलदार के द्वारा वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे। गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के मामले में आवंटन नियमों के तहत तहसीलदार ही सक्षम है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कोई गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील की रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 जो अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 19.09.2022 को प्राप्त हुई को आधार मानकर वाद डिक्री किया है। इस रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त हो इसमें भी कुछ भूमि रोड़ में जाने का उल्लेख है और यह रिपोर्ट केवल मात्र पटवारी हल्का के द्वारा ही बनायी गयी है एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022 भी इसी पटवारी हल्का के द्वारा बनाई गयी थी, अर्थात दोनों मौका रिपोर्ट एक ही पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गयी है। इस प्रकार अवैधानिक रूप से तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 जो अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 19.09.2022 को प्राप्त हुई के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। गैरखातेदारी की आराजी खातेदारी में दर्ज तब ही की जा सकती है जब मौके पर आवंटी/गैरखातेदारान का कब्जा हो, विवादित मामले में आवंटी/गैरखातेदारान (वादीगण) का मौके पर कोई कब्जा नहीं होने के कारण ही दावा दायरी तक भी तहसीलदार द्वारा वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आवंटन नियमों के विपरीत वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय में समस्त वादीगण ने एक ही वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं था, मौके पर जमीन का रकबा भी पूर्ण नहीं है एवं विवादित आराजी के नक्शे में प्रत्येक वादीगण के हिस्से के मामले में तरमीम भी नहीं हुई है और कानूनी प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद डिक्री कर देने से एवं अपीलान्ट क्रम 1 व 2 की आराजी उक्त आराजी के पास ही होने से विवाद की स्थिति बन गयी है और आवंटी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की आड में वादी की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से हित प्रभावित होते हैं। इस कारण से अपीलान्ट हितबद्ध आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादीगण के द्वारा केवल राज्य सरकार (रस्पोडेंट क्रम 30) को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ही पक्षकार बनाया और राज्य सरकार के विरूद्ध ही सहायता चाही इस कारण से वाद प्रस्तुत करने से पूर्व रेस्पोडेंट वादीगण द्वारा राज्य सरकार को धारा 80 सी. पी. सी. के तहत भी कोई नोटिस वाद पेश करने से पूर्व दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। जो कानूनन आवश्यक था एवं धारा 80 (2) सी. पी. सी. के तहत भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना व स्वीकार होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में धारा 80 सी. पी. सी. के नोटिस के अभाव में रेस्पोडेंट का वाद खारिज होने योग्य था। आवंटन नियमों के तहत आवंटित आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार सम्पूर्ण जाँच पड़ताल के बाद व आवंटन नियमों की पालना के बाद ही खातेदारी अधिकार देने के लिये तहसीलदार सक्षम है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार से परे है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद डिक्री करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट कम 1 का नाम खाते में होने से पक्षकार बनाया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2022 को निरस्त फरमायी जावे एवं रेस्पोडेन्ट/वादीगण को निर्देश जारी फरमाये जावे कि वह विवादित आराजी गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के मामले में नियमानुसार तहसीलदार गंगधार के सक्षम कार्यवाही करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.06.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेंमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दिनांक 13.05.2022 की पटवारी व आई.एल. की रिपोर्ट सही है जिसमें अंकित है जो जमीन रास्ते में गई उसे भी खातेदारी में दर्ज कर दिया। रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के आधार पर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। सरकार को 80

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया। आवंटन का रकबा दावे में खोला एवं नक्शे में तरमीम नहीं हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 469 की जो आराजी सडक में गई उसकी भी खातेदारी दे दी गई। सरकार का जवाब पेश नहीं हुआ दस्तावेज भी प्रदर्श नहीं हुए। हमें आवंटन से आपत्ति नहीं है परन्तु तथ्यों को स्पष्ट करते हुए दावा करना चाहिए था। केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2006 पेज 107, आर.आर.डी. 2017 पेज 282 एच.सी., 2018 (1) एस.सी., आर.आर.डी. 1998 पेज 319 एच.सी., 2007–08 (सप्लीमेन्ट्र) आर.आर.डी. पेज 443 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार से दो बार रिपोर्ट तलब की गई है। अतः तहसीलदार को प्रकरण की जानकारी थी। अतः तलबी नहीं हुई फिर भी तहसीलदार को उपस्थित होकर जवाब देना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की प्रथम रिपोर्ट को अपूर्ण माना है। तामील नहीं होने के सन्दर्भ में सरकार आपत्ति कर सकती है, तृतीय पक्ष नहीं। खसरा नं. 463 व 469 वादीगण के खाते दर्ज है और इस आराजी के सन्दर्भ पर अपीलांट का कोई अधिकार नहीं है। गैर खातेदारी से खातेदारी का दावा है। पैमाइश की आवश्यकता नहीं थी। अतः पैमाइश करने पर जानकारी होने का तर्क निरर्थक है। अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजों का उल्लेख बयानों में भी है जो सरकारी दस्तावेज है। जिन्हें प्रदर्श नहीं कराने से कोई फर्क नहीं पडता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2013 आर.आर.डी. पेज 188, 2021 (28) आर.बी.जे. पेज 262 की नजीरे उद्धरत की।

रेस्पोडेंट कम 30 तहसीलदार गंगधार द्वारा कोस आब्जेक्शन पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णित कर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित करने में त्रुटि की गई है। प्रतिवादी सरकार को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है व आदेशिका में भी तामील होने या नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सरकार से कोई जवाब प्राप्त किये बिना ही निर्णय कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री कर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। जो निरस्त होने योग्य है। अतः कोस आब्जेक्शन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र पूर्व में उभयपक्षीय बहस सुनने के उपरान्त आदेशिका दिनांक 09.06.2025 से स्वीकार किया जा चुका है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गोलखेड़ी तहसील गंगधार की खसरा संख्या 463 रकबा 0.1897 तथा खसरा सख्या 469 रकबा 0.5059 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.6956 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण रेस्पोडेन्टगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068 से 71 एवं सम्वत् 2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में खातेदार/गैर खातेदार के कॉलम में शंकर सिंह, मिटठु सिंह पिसरान भंवर सिंह, सीता बाई बेवा भंवरसिंह वगै. शेष इन्द्राज बदस्तुर जमाबंदी दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त दोनो गिरदावरी सम्वत् 2068 से 70 व 2076 में फसल का नाम अंकित है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी में से रेस्पोडेंट की कुछ आराजी सडक में चली गयी है, मौके पर रकबा पूर्ण नहीं है तथा विवादित आराजी के नक्शे में तरमीम भी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के कारण अपीलांट संख्या 1 व 2 की आराजी वादग्रस्त आराजी के लगवां होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की आड़ में वादीगण, अपीलांटगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने को प्रयासरत है। अपीलांट ने अपील मेमो एवं अपनी बहस में वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार निहित होने का कथन नहीं किया है। केवल वादग्रस्त आराजी का तथाकथित मोके पर रकबा अपूर्ण होने एवं नक्शे में तरमीम नहीं होने के आधार पर स्वयं के खाते की भूमि में जबरन कब्जा करने की तथाकथित संभावना को व्यक्त किया गया है। अपीलांटगण ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादग्रस्त आराजी सडक मार्गाधिकार हेतु आवाप्त होना एवं राजस्व नक्शे की तरमीम के अनुसार मोके पर रकबा कम होना प्रमाणित होता हो। प्रश्नगत खसरा नम्बर 463 व 469 की भूमि में स्वयं के स्वत्व, हक अधिकार एवं कब्जे काश्त होने के समर्थन में अपीलांटगण द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रश्नगत खसरा नम्बर 463 व 469 की भूमि का खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की प्रति पेश की है जिसमें उक्त दोनो विवादित खसरा नम्बरान की राजस्व नक्शे में तरमीम होना प्रकट होता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी में स्वयं का हक अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहे है। अपीलांट के खाते की भूमि प्रश्नगत खसरा नम्बर 463 व 469 के लगवां है तथा अपीलांट का यह तर्क है कि यदि वादग्रस्त आराजी के तथाकथित कमी रकबे की पूर्ति हेतु रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट के खाते की भूमि में जबरन दखलंदाजी किए जाने से उसके हक अधिकार प्रभावित होने की संभावना है। परन्तु हमारे मत में यदि रेस्पोडेंटगण कथित कमी रकबे की पूर्ति हेतु अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी करते है अथवा प्रश्नगत खसरा नम्बर 463 व खसरा नम्बर 469 की राजस्व नक्शे में की गई तरमीम को अपीलांटगण त्रुटिपूर्ण होना मानते है तो ऐसी स्थिति में अपीलांटगण विधिक प्रक्रिया के तहत सक्षम न्यायालय में पृथक से वाद प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। केवल मौखिक कथनों एवं भविष्य में कब्जा करने की संभावना पर वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 30 द्वारा प्रस्तुत अपने कोस ऑब्जेक्शन में रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सरकार को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा प्रतिवादी सरकार तामील किये बिना एवं जवाब प्राप्त किए बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.03.2022 में पत्रावली वास्ते तहसीलदार रिपोर्ट नियत किए जाने का अंकन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.03.2022 से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1148 दिनांक 18.04.2022 एवं पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1148 दिनांक 24.08.2022 संलग्न है जिनमें विषय के रूप में "शंकर सिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत अंकित है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार गंगधार को विवादित आराजी के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यालय तहसीलदार गंगधार द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगधार को सम्बोधित पत्र क्रमांक 55 दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

18.05.2022 एवं पत्र कमांक 220 दिनांक 19.09.2022 संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा जारी पत्र कमांक 683 दिनांक 18.04.2022 एवं पत्र कमांक 1148 दिनांक 24.08.2022 की पालना में तहसीलदार गंगधार द्वारा हस्तगत प्रकरण की विवादित आराजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है। अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होने का तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 30 के संज्ञान में आ चुका था तथा स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 30 द्वारा हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है। अतः हमारे मत में रेस्पोडेन्ट संख्या 30 को विवादित आराजी के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद होने की सम्पूर्ण जानकारी हो चुकी थी अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 30 द्वारा हस्तगत प्रकरण में तामील नहीं होने का जो कथन अंकित किया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है। पत्रावली में संलग्न तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी वादग्रस्त आराजी पर गैर खातेदारान शंकर, मिटठू सिंह पिसरान भंवरसिंह, सीताबाई बेवा भंवरसिंह, बापूसिह पुत्र भग्गा (मृतक) के वारिसान की गैरखातेदारी में दर्ज होने का अंकन है जो सभी वादीगण है। रेस्पोडेन्ट संख्या 30 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। हमारे मत में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के अनुसार गैर खातेदार को तीन वर्ष उपरान्त स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2021 पेज 262 प्रस्तुत किया गया है जो हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2030 से 49 के अनुसार वादीगण रेस्पोडेन्टगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी में वादीगण का नाम बतौर कृषक दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी में फसल का भी अंकन हैं जिससे भी वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.09.2022 में वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे के सम्बंध में कोई विपरीत तथ्य अंकित नहीं है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 463 व 469 की भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज भूमि नहीं होकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की गैर खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 की पालना में वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 में वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड खसरा नम्बरान 463 व 469 को ही वादीगण के खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खाते की आराजी या खाता संख्या 1 की आराजी में से भूमि कम करके रेस्पोडेंट के खाते दर्ज नहीं की गई

(दीप्ति रामचन्द्रे मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 30 के कोई हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 463 व 469 की भूमि को वादीगण रेस्पोडेल्टगण की गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है उसमें अपील के इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण हस्तगत अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहे है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं रेस्पोडेंट कम 30 द्वारा प्रस्तुत कोस आब्जेक्शन भी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. पंकज जैन पुत्र शंकरलाल जैन, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
2. रामलाल पुत्र ओंकार, जाति मेंहर, निवासी बोरखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.....अपीलांट

बनाम

1. शंकर सिंह पिता भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
2. मिट्ठू सिंह पिता भंवर सिंह, जाति गुर्जर
3. कुंवर बाई पुत्री भंवर, सिंह, जाति गुर्जर
4. अन्दर बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर
5. गुगना बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
6. सूरज बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
7. लीला बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर
8. कैलाश बाई पुत्री भंवर सिंह, जाति गुर्जर,
9. प्रहलाद पिता रूगनाथ, जाति बलाई
10. आशा पुत्री रूगनाथ, जाति बलाई
11. ऊषा पुत्री रूगनाथ, जाति बलाई
12. राघू सिंह पिता बापूसिंह, जाति गुर्जर,
13. लाल सिंह पिता बापूसिंह, जाति गुर्जर
14. बहादुर सिंह पिता बापूसिंह जाति गुर्जर,
15. कुशाल बाई पुत्री बापूसिंह, जाति गुर्जर
16. पेमा बाई पुत्री बापूसिंह, जाति गुर्जर
17. लक्ष्मण पिता दुले सिंह, जाति गुर्जर
18. बद्री सिंह पिता दुले सिंह, जाति गुर्जर
19. विक्रम सिंह पिता दुले सिंह, जाति गुर्जर
20. शारदा बाई पत्नी दुले सिंह, जाति गुर्जर
21. कृष्णा पुत्री गोरधन, जाति बलाई,
22. मन्जू पुत्री गोरधन, जाति बलाई
23. संजू पुत्री गोरधन, जाति बलाई
24. सोहन बाई पत्नी गोरधन, जाति बलाई
25. राहुल पिता गोरधन, जाति बलाई
26. शिवनारायण पिता गोरधन, जाति बलाई
27. मोहन बाई पुत्री भुवानलाल, जाति बलाई
28. रूकमण बाई पुत्री भुवानलाल, जाति बलाई
29. शंकरलाल पुत्र भुवानलाल, जाति बलाई
    अकवाम निवासीगण ग्राम गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
30. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड
31. राधेश्याम पुत्र कचरूलाल मेघवाल, निवासी पारापीपली, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान

.....रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील नं. **2024 / 91** व नाराजगी डिकी अदालत–**उपखण्ड़ अधिकारी, गंगधार**

मु.द.नं **107 / दावा / 2022** निर्णय एवं डिकी दिनांक – **04.10.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07** माह **07** सन् **2025**

हाजरी **श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 11, 17, 29, 31 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं रेस्पोडेंट कम 30 द्वारा प्रस्तुत कोस आब्जेक्शन भी खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **05** माह **08** सन् **2025** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा